1

<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

<u>प्रकरण क्रमांक 417 / 09</u> <u>संस्थित दिनांक —03 / 08 / 09</u>

<u> </u> 40प्र0	राज्य	द्वारा, १	ग्राना मू	ग्राजखण्ड		
जिला	बालाघ	ाट म0	प्र0 💢	Y		अभियोगी
			6	🗳 / विरूद	ੜੋ / /	
		/	(O. 5)	•	

:<u>:निर्णय::</u>

<u> दिनांक 04 / 10 / 2016 को घोषित}</u>

- 1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337(तीन बार), 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 18/07/2009 को समय 10:00 बजे राम मंदिर के पास पौनी थाना मलाजखण्ड में लोक मार्ग पर वाहन टिप्पर कमांक सी.जी.04 जे.बी. 0836 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलटकार प्रेमलता, चंद्रकला एवं ममताबाई को साधारण उपहित एवं दीपक कुमार की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रेमलता ने थाना मलाजखण्ड में सूचना दी थी कि दिनांक 18.07.2009 को आशिफ खान भीमजोरी के वाहन दिप्पर कमांक सी.जी.04 जे.बी—0836 को लेकर ड्रायवर आविद खान और कण्डेक्टर दीपक आये और वाहन में उसे सुनीबाई, ममताबाई, चंद्रकला, तरासनबाई को लेकर सरई टोला से दमोह जा रहे थे। पौनी के पास बंजारी मंदिर के पास आविद खान ने करीब 10:00 बजे वाहन तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर नाला में पलटा दिया जिससे गाड़ी पर सवार सभी हमाल नाले के पानी में गिर गये और ड्रायवर आविदखान तथा दीपक टिप्पर के अंदर दब गये। घटना में सभी लोगों को चोटें आयी थीं। घटना की सूचना प्रार्थी प्रेमलता द्वारा थाना मलाजखण्ड में दिये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में दीपक कुमार की मृत्यु होने के समय अस्पताली मेमो प्राप्त होने पर विवेचना

की गयी आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं मृतक दीपक कुमार का पी०एम० शासकीय अस्पताल मोहगांव में कराया गया। घटनास्थल मोकानक्शा बनाकर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफतार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में धारा 279, 337 एवं 304ए भा.द.वि. के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।

- 3. न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337 (छः बार) एवं 304ए भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। आरोपी का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। दौरान विवेचना के आरोपी एवं आहतगण के समक्ष समर्थन होने से आरोपी को धारा 337(तीन—बार) भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त कर शेश अपराध के संबंध में विचारण जारी रखा गया। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होकर घटना में कोई गलती न होना व्यक्त कर बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।
- 6. 💉 प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 18/07/09 को समय 10:00 बजे बंजारी मंदिर के पौनी थाना मलाजखण्ड में टिप्पर क्रमांक सी0जी004/जे0बी0-0836 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर प्रेमलता, चंद्रकला एवं ममताबाई को उपहति कारित की ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर दीपक कुमार की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

ः:सकारण निष्कर्षःः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. प्रार्थी प्रेमलता (अ.सा.1) के अनुसार वह आरोपी को जानती है। इसी वर्ष बरसात के समय में सुबह की है। वह लोग आसिफ खान की गाड़ी लोड करने जा रहे थे। उसके अलावा तरासन, चंद्रकला, ममताबाई, कांती और एक अन्य लड़की थी वह लोग ट्रेक्टर गाड़ी में थे जिसे आरोपी चला रहा था। बंजारी के पास सामने से आ रहे वाहन को साईड देने के चक्कर में पौनी के पुल में गाड़ी पलट गयी वह डाले में थी। फिर किसी ने आकर डाला खोला

शा0 वि0 आविद खान

तो वह लोग बाहर निकले। गाड़ी पलटने से कंडक्टर दीपक दबकर मर गया था। घटना के दिन उसके द्वारा मलाजखण्ड थाने में रिपोर्ट प्र.पी01 दर्ज करायी गयी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डाले में पीछे बैठे सभी लोगों को चोटें आयी थीं। मौकानक्शा प्र.पी02 उसकी निशादेही पर नहीं बनाया गया था परंतु मौकानक्शा प्र.पी02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 8. घटना की पुष्टि चंद्रकला (अ.सा.2), कुंदनसिंह (अ.सा.4), तरासनबाई (अ.सा.10), सुनीता (अ.सा.11), शांतिबाई (अ.सा.12) ने की है। चंद्रकला (अ.सा.2) के अनुसार घटना के समय वह तरासन, प्रेमलता, कांतिबाई, सुनीता और ममता छः लोग बोल्डर भरने के लिए टिप्पर वान में गये थें जिसे आरोपी चला रहा था और कंडेक्टर दीपक था। पुल के पास सामने से पिकप वाहन आ रहा था जिसे साईड देने पर टिप्पर पलट गया था। घटना में उसे पैर, कमर और पीठ पर चोटें आयी थीं तथा वाहन में दबकर दीपक की मृत्यु हो गयी थी। कुंदनसिंह (अ.सा.4) के अनुसार घटना के समय वह टिप्पर में जा रहा था जो पौनी बंजारी के पास पलट गया था।
- 9. तरासनबाई (अ.सा.10), सुनीता (अ.सा.11)तथा शांतिबाई (अ.सा. 12) के अनुसार वह लोग और अन्य आहतगण मिलकर टिप्पर गाड़ी में गिट्टी भरने जा रहे थे जिसे आबिद खान चला रहा था। दीपक कुमार आबिद खान के बाजु में बैठा था गिट्टी भरकर वापिस आते समय आबिद खान ने वाहन को बंजारी के पास पलटा दिया था वाहन के पलटने से सभी लोगों को चोटें आयीं और दीपक कुमार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी। उन लोग का बिरसा अस्पताल में मुलाहिजा हुआ था। सहदेव (अ.सा.13) और गिरवार (अ.सा.14) के अनुसार उनके समक्ष मृत्यु पंचनामा एवं नक्शा पंचायत नामा प्र0पी 20 एवं 21 बनाया गया था जिसके ए से ए उसके एवं बी से बी भाग पर साक्षीगण के हस्ताक्षर हैं।
- 10. डां.डी.बनर्जी (अ.सा.८) के अनुसार दिनांक 18.07.2009 को ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में अस्पताल इयूटी के दौरान सुबह 10:45 बजे दीपक कुमार को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जिसकी सूचना प्र.पी17 उन्होने थाना मलाजखण्ड में दी थी जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। डां. एन.एस.उइके. (अ.सा.५) के अनुसार दिनांक 18.07.2009 को प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र मोहगांव में उनके द्वारा आहत प्रेमलता का परीक्षण करने पर रिपोर्ट प्र.पी05 के अनुसर बायें कंधे, जोड़ तथा पीछे भाग पर दर्द पाया था। आहत चंद्रकला का परीक्षण करने पर रिपोर्ट प्र.पी07 के अनुसार शरीर पर किसी प्रकार की चोट न होकर दाहिने हाथ में दर्द पाया था। ममताबाई के परीक्षण करने पर रिपोर्ट प्र.पी09 के अनुसार शरीर पर किसी प्रकार की चोट

शा0 वि0 आविद खान

न होकर बांये घुटने पर दर्द पाया था। आबिद खान का परीक्षण करने पर रिपोर्ट प्र.पी11 के अनुसार सिर के पीछे भाग एवं दाहिने आंख के अंदरूनी कोने में घाव पाया था। साक्षी के अनुसार उक्त समस्त चोटें परीक्षण के तीन से चार घण्टे पूर्व की होकर कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभव थी।

- 11. उक्त साक्षी के अनुसार मृतक दीपक कुमार का शव परीक्षण कर रिपोर्ट प्र.पी12 के अनुसार उसकी कनपटी के पिछले भाग, पीठ, बायें भाग, कमर के पिछले भाग एवं दायीं आंख के नीचे घाव पाया था जिसकी मृत्यु अत्यधिक रक्त स्त्राव जो जाने से हृदय में खून की आपूर्ति न होने से होने वाले आघात से हुई थी। खून की अत्यधिक कमी शरीर में आयी हुई चोटें के कारण हुई थी। मृत्यु परीक्षण के छः से बारह घण्टे के अंदर संभव थी।
- साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा.९) के अनुसार दिनांक 18.07.2009 12. को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान उसके द्वारा प्रेमलता मरकाम की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक <u>46 / 09</u> धारा 279, 337, 338 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध लेखबद्ध की थी जो प्रपी01 है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात डां. डी. बनर्जी मलाजखण्ड अस्पताल से मृतक दीपक कुमार की लिखित सूचना प्र.पी17 प्राप्त होने पर मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 17/09 धारा 174 द.प्र.सं. प्र.पी18 लेखबद्ध किया गया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। बी.सी.झारिया (अ.सा.७) के अनुसार दिनांक 18.07.2009 को थाना मलाजखण्ड के सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान अपराध कमांक 46/09 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा मृतक दीपक कुमार का पी०एम० करने हेतु शासकीय अस्पताल मोहगांव शव परीक्षण आवेदन प्र.पी14 प्रेषित किया गया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा शव नक्शा पंचायतनामा प्र.पी15 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। घटना दिनांक को मौके पर जाकर प्रेमलता की निशादेही पर मौकानक्शा प्र.पी02 बनाया गया था दिनांक 23.07.2009 को द्धायवर आबिद खान द्वारा पेश करने पर वाहन टिम्मपर क्रमांक सी.जे.04 / जे.बी.-0836 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी04 बनाया गया था उक्त दस्तावेजों के बी से बी भाग पर साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। गवाह, प्रेमलता, चंद्रकला, सुनीता, ममता, तरासनबाई, शांतिबाई, कुंदनसिंह, दिलीप एवं सलीम खान के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 23.07.2009 को आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी16 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 14. उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा वाहन मैकेनिकल परीक्षण

अलीम जिलानी से करवाया गया था जो प्र.पी13 है। जप्ती साक्षी शरीफ खान (अ.सा.3) ने उसके समक्ष आरोपी से मय दस्तावेजों के वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी04 बनाना स्वीकार किया है। अलीम जिलानी (अ.सा.6) ने वाहन का परीक्षण कर रिपोर्ट प्र.पी13 बनाना स्वीकार किया है। साक्षी के अनुसार वाहन के गियर, स्थेरिंग, ब्रैक सही हालत में थे तथ सामने का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया था।

- 15. उपरोक्त समस्त साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी के वाहन पलटने से कंडक्टर दीपक की मृत्यु हो गयी थी तथा आहतगण प्रेमलता, चंद्रकला एवं ममताबाई को चोटें आयी थीं। परंतु क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दुर्घटना उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से वाहन को चलाकर की गयी थी। इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कथन नहीं किये हैं। फरियादी प्रेमलता (अ.सा.1) के अनुसार उसे नहीं मालुम था कि आरोपी गाड़ी कैसे चला रहा था। घटनास्थल पुलिया एक सकरा मार्ग है, जैसे ही सामने से आ रही पिकप वाहन आरोपी को साईड दिया वैसे ही वाहन पलट गया था। कुंदनसिंह (अ.सा.4) के अनुसार टिम्पर सामान्य गति से ठीकठाक चल रहा था। तरासनबाई (अ.सा.10), सुनीता (अ.सा.11), शांतिबाई (अ.सा.12) के अनुसार घटना के समय सामने से अचानक एक वाहन उनके तरफ आने लगा जिसे उनके द्वेक्टर चालक ने टक्कर होने से बचाया। दुर्घटना में टिप्पर चालक की कोई गलती नहीं थी तथा टिप्पर चालक धीरे—धीरे सावधानीपूर्वक चला रहा था।
- 16. शरीफ खान (अ.सा.3) के अनुसार उसे वाहन पर सवार लेबर आहतगण ने बताया था कि पुलिया के पास पिकप बाहन सामने से आने पर उसे साईड देने के लिए जैसे ही वाहन को ड्रायवर ने सड़क के नीचे उतारा वहां पर नई रोड थी भुर भुरी मिट्टी डली थी जिससे टिप्पर धस गया और गाड़ी स्वयं अभियुक्त ने अपने परीक्षण में यह कथन किया है कि सामने से आ रहे वाहन को बचाने के लिए उसने गाड़ी उतारी जो अचानक पलट गयी उसमें उसकी कोई गलती नही थीं। उतावलपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के प्रक्रम में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय आवश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गित से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गयी जिसके कारण एक्सीडेण्ट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय टिप्पर वाहन अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेपूर्ण गित से तथा जानबूझकर लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाया गया था। ऐसे तथ्य एवं परिस्थितियां प्रकट नहीं की हैं।

शा0 वि0 आविद खान

किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। मौकानक्शा प्र.पी02 से भी घटनास्थल पुलिया के पास दर्शित है। यह संभव है कि नाले के पास सड़क का किनारा कच्चा हो जिसमें वाहन उतारते ही वजन के कारण पलट गया हो। क्योंकि बाहन परीक्षण रिपोर्ट से वाहन में कोई खराबी दर्शित नहीं है। सवार व्यक्ति की मृत्यु एवं कुछ को चोटें आने मात्र से उपेक्षा या उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से पलटाकर प्रेमलता, चंद्रकला एवं ममताबाई को उपहित तथा दीपक कुमार की मृत्यु कारित की।

- 17. अतः अभियुक्त आविद खान को भा.दं०सं० की धारा 279, 337(तीन बार) एवं 304ए भा०द०वि० के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन टिप्पर क्रमांक सी0जी004/जे0बी0-0836 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 20. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)